न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

दौलतसिंह .... बनाम .... गणपतसिंह

किस्म मुकदमा .... मु. नं0 225 .... वर्ष........

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.3.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र स्थगन पेश कर पैत्रिक आराजी नवीन खसरा नं0 415, 760, 761, 766, 775, 825, 981, 982, 983, 984 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996 1138 कुल किता-21 कुल रकबा 29.43 जिसके पुराने ख0नं0 135, 380, 385, 431/1, 391, 390/3, 342/2 342/1, 340 वाके ग्राम कासली के बाबत पेश कर अपीलान्ट को इस आराजी से बलात बेदखल नहीं करने विक्रय नहीं करने पेड पौधे नहीं काटनके के लिये पाबन्द कराने का पेश किया । जिस पर अदालत मातहत ने कोई आदेश पारित न कर अप्रार्थीगण की तामिल के आदेश पारित किये है जो विधि के विपरित है ।अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल नहीं करे, पेड पौधे नही काटे, बैचान/अन्तरण नहीं करें । बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया अदालत मातहत ने अपने निर्णय में विवादित आराजी को संयुक्त खातेदारी की मानते हुये प्रकरण में अप्रार्थीगण को बिना सुने एकपक्षीय स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं माना। अदालत मातहत का यह आदेश उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । तथा अपील को इसी	

Web Copy Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र में विधि अनुसार निर्णय पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत मे नियत पेशी पर उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 21/3/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	